04.09.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सपठित 151 CPC स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर नामन्जूर किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS